

- छित्तर राम पुत्र नारुराम
- गीदा राम पुत्र नारुराम
जाति गुर्जर निवासी जमालपुर तहसील खेतड़ी
बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी।

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

निर्णय दिनांक 25.11.2025

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, आधार कार्ड (छित्तर राम), पहचान पत्र (गीदाराम), ग्राम पंचायत बेसरडा का प्रमाण पत्र तथा तहसीलदार खेतड़ी के क्रमांक भू.अ. /2024/4102 दिनांक 20.09.2024 की रिपोर्ट में स्पष्ट अभिशंका के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जमालपुर पटवार मण्डल टीबा की जमाबंदी संवत् 2076-79 के खाता सं. 21 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। रहन यदि कोई हो तो रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल दरामद हो।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	जमालपुर	जमाबंदी संवत् 2076-79 के खाता सं. 21 किता 10 कुल रकबा 2.59 है.	छीतर पुत्र नाथा गीदा पुत्र नाथा	छित्तर राम पुत्र नारुराम गीदाराम पुत्र नारुराम

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
दिनांक :- 25.11.2025

क्रमांक :- राजस्व/2025/378
प्रतिलिपि :-

- तहसीलदार खेतड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
- छित्तर राम पुत्र नारुराम, गीदा राम पुत्र नारुराम जाति गुर्जर निवासी जमालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू को सूचनार्थ।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, खेतड़ी